—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 145/2024

उनवान

1. ऋषिराज सिंह
2. महिराज सिंह पि. शिवप्रताप सिंह
3. सुनिता कंवर पत्नी शिवप्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बनेवडा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. प्रभु पुत्र हरजी, जाति भील निवासी ग्राम ग्राम बनेवडा, नसीराबाद
2. संग्राम पुत्र तेजू
3. नारायण पुत्र तेजू समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम ग्राम बनेवडा, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—–—— अप्रार्थीगण :— 2 जरिये अधिवक्ता श्री गोवर्धन गुर्जर
4 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :—

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बनेवडा के खसरा नम्बर 20 रकबा 0.30 व 21 रकबा 1.40 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है, उक्त आराजी पर प्रार्थीगण कदीम से काबिज काश्त है। उक्त आराज़ी की सुरक्षा के लिये सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः आराजी मुतनाजा की पतथरगढाई करायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब मय प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पास स्थित खसरा नम्बर 22, 23, 11, 12 व 19 जो कि सरकारी भूमि है की तरमीम प्रार्थीगण की भूमि में ज्यादा हो गयी है। जवाबकर्ता ने भूमि पर कोई विवाद नही किया है। प्रार्थीगण की भूमि मौके पर सही है। किन्तु सिवायचक भूमि व अप्रार्थी की भूमि को हड़पने के लिये उक्त आवेदन पत्र पेश किया है। आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है। [illegible] का विभाजन नही हुआ है। प्रार्थी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:00:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अप्रार्थी की भूमि का नक्शा पूर्व नक्शे अनुसार शुद्व किया जावे व प्रार्थीगण का आवेदन पत्र सव्यय खरिज किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने जवाब प्रति प्रार्थना पत्र नही पेश करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम बनेवडा के खसरा नम्बर 20 रकबा 0.30 व 21 रकबा 1.40 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी के आस–पास अप्रार्थीगण की आराजी है। प्रार्थीगण आराजी मुतनाजा की पत्थरगढाई करवाना चाहते है जिस बाबत उसके द्वारा सीमाज्ञान के लिये पूर्व में आवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने हाल राजस्व मानचित्र को त्रुटिपूर्ण बताते हुये उसकी दुरूस्ती के लिये निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दिनांक 19.06.2024 के मौका पर्चा अनुसार सीमाज्ञान से प्रार्थीगण संतुष्ट हुये है। उक्त मैका पर्चा में राजस्व मानचित्र मे त्रुटि होने का कोई कथन नही है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब के समर्थन में आराजी मुतनाजा का हाल व पूर्व राजस्व मानचित्र व अन्य राजस्व अभिलेख भी पेश नही किया है। दस्तावेजी अभिलेख के अभाव में राजस्व मानचित्र को त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। प्रार्थीगण मात्र स्वयं की खातेदारी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 ने पत्थरगढी के खण्डन में जो तथ्य जवाब में अकिंत किये है वह राजस्व अभिलेख के अभाव में सिद्व नही होते है। आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी करने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। अप्रार्थीगण अपनी आपत्ति दौराने पत्थरगढी प्रस्तुत कर सकते है।

उक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 2 का प्रति प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम बनेवडा के खसरा नम्बर 20 रकबा 0.30 व 21 रकबा 1.40 की आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:00:12 IST
Reason: SelfAttested